

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.-0141-2222403)

dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/4764

दिनांक: 09/07/19

—:आदेश:—:

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

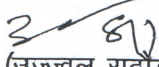
क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री मोहित धौल पुत्र श्री राजेश धौल	सफाई कर्मचारी	टोंक	किशनगढ़
2	श्री सुख लाल बैरवा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	बडीसादडी	गंगापुर
3	श्रीमति सुमन मीना पत्नी श्री विनोद कुमार मीना	फायरमैन	गंगापुरसिटी	लालसोट
4	श्रीमती इन्दिरा देवी पत्नी स्व.श्री मूलाराम जावा	सफाई कर्मचारी	बीकानेर	मेड़ता सिटी
5	श्रीमती सरोज पत्नी श्री शंकर	सफाई कर्मचारी	रावतसर	श्रीगंगानगर
6	श्रीमती विमला पत्नी मुकेश धारु	सफाई कर्मचारी	फलौदी	बीकानेर
8	श्री विक्रमजीत चांगरा पुत्र श्री जीतूराम	सफाई कर्मचारी	फलौदी	बीकानेर
9	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बंशीलाल	सफाई कर्मचारी	सांभरलैक	जयपुर
10	श्री अशोक कुमार	कनिष्ठ लिपिक	मुकुन्दगढ़	सीकर
11	श्री दूदा राम पुत्र श्री दमाराम	फायरमैन	जालोर	भीनमाल
12	श्री राजेश कुमार कानव	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	विराटनगर
13	श्री रमेश रोहिण	कनिष्ठ लिपिक	शिवगंज (स्थानान्तरणधीन)	भीनमाल
14	श्री दीपक गारु	सफाई कर्मचारी	नाथद्वारा	उदयपुर
15	श्री सुनील कुमार गहलोत	सफाई कर्मचारी	उदयपुर	नाथद्वारा

16	रुबी सैनी	कनिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	थानागाजी
----	-----------	--------------	------------------	----------

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।


(उज्ज्वल राठी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/19/4765-4808

दिनांक : 09/07/19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी नगर निगम/ पालिका/परिषद.....
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग.....
6. संबंधित कर्मचारी श्री
7. सुरक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (प्रशासन)